छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्रमांक—एफ—1—163/31/एस—2/2024/ 1203/ अटल नगर, दिनांक 13/03/2024
प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— **राजनांदगांव जिले के विकासखंड—डोंगरगढ़ की खातूटोला बैराज का गेट पेंटिंग कार्य एवं गेट स्ट्रन्थनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :— प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक—2743/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2023/9914, नवा रायपुर, दिनांक 30.10.2023.

—00—

वित्त विभाग का परिपत्र क्र.—367/सी—28269/11/वित्त/नियम/चार दि. 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50/2011 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुक्रमांक—88 का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखंड—डोंगरगढ़ की खातूटोला बैराज का गेट पेंटिंग कार्य एवं गेट स्ट्रन्थनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 45.85 लाख (रुपये पैंतालीस लाख पच्यासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}—सतही जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97 निर्माण कार्य, 003—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने के पूर्व माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
13/03/24
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

...2

E:\HKY\Sahu Sir\AARAA Aadesh.doc.docx

पृ.क्रमांक–एफ–1–163/31/एस–2/2024/ 1264 अटल नगर, दिनांक 13/03/2024

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकुप एवं गेट संभाग दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

E:\HKY\Sahu Sir\AARAA Aadesh.doc.docx